न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :– **263/2024**

दायर तारीख **20.09.2024**

अनवान

1. छगनलाल पुत्र शंकरलाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा खेती निवारी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।

...........प्रार्थी

बनाम

1. चांन्दी देवी पत्नि दयाराम उम्र बालिग जाति रेगर निवासी सलावटियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........अप्रार्थीगण

उपस्थित :– 1. श्री मुकेश कुमार धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री जगदीश धाकड़, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 ।
3. पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 22/07/**2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का सलावटियां स्थित खाता संख्या 107 खसरा संख्या 552/427 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने के लिये आराजी संख्या 425 गे0मू0 रास्ता से दक्षिण की तरफ घुमकर विपक्षी की आराजी खसरा संख्या 554/425 रकबा 0.6475 है0 में प्रवेश कर पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ पूर्वी दक्षिणी कोने से पश्चिम की तरफ जाकर प्रार्थी की आराजीयात के उतरी पूर्वी कोने में प्रवेश करता हैं। प्रार्थी आवेदक/प्रार्थी आवेदक से पूर्व के खातेदार कई वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर अपनी आराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर रास्ते के आलामात होकर लोहे की फाटक़ लगी हुई हैं। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आरजियात पर आने जाने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने का अन्य कोई नजदीकी एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते को प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड (जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस) में दर्ज करवाना चाहता है ताकि भविष्य में प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आने जाने

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

के उक्त रास्ते को कोई अवरुद्ध ना कर सके। प्रार्थीगण विपक्षी की उक्त आराजी पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रेकॉर्ड में दर्ज करने के बदले तय किये जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। उक्त आराजीयात पर जाने के लिए रास्ते को राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के आदेश प्रदान कराना फरमावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01 कीं ओर से अधिवक्ता जगदीश चन्द्र धाकड़ ने U.T. ली एवं जवाब दावा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम गिरधरपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 आ0नं0 552/427, ग्राम गिरधरपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 आ0नं0 554/425, ग्राम गिरधरपुरा की नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 आ0नं0 425, नजरी नक्शा चाहे गये रास्ते का संलग्न किया हैं।

प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलियां से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2025/782 दिनांक 07.05.2025 में अंकित किया कि मौजा ग्राम गिरधरपुरा के आराजी नं0 554/425 की पूर्वी मेड से होकर दक्षिण पूर्वी कोने से पश्चिम दिशा में घूमकर वादी की खसरा नं0 552/427 में प्रवेश करना चाहता हैं। यही से प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है जिसे नजरी नक्शेमें ABCDEF से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता ही सबसे निकटतम दूरी का रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। वर्तमान में वादी आराजी नं0 552/427 की दक्षिणी दिशा में स्थित आराजी नं0 428 गेमु0 चरागाह से होकर आराजी नं0 422 गेमु0 रास्ता से होकर निकलता है जो कि प्रकरण मे वांछित रास्ते से अधिक लम्बाई में पड़ता हैं। वादी पूर्व में भी प्रकरण में विचाराधीन रास्ते से आता जाता रहा है। प्रतिवादी के खाते के आराजी नं0 554/425 की पूर्वी मेड़ व दक्षिण मेड पर 112 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई में यानि कुल 448 व0मी0 भूमि का रास्ते में उपयोग होगा। आराजी नं0 554/425 सिंचित होकर संभावित खनन क्षेत्र के 250 मीटर की परिधि मे आती है। आ0नं0 554/425 आबादी एवं सड़क से दूर हैं।

ग्राम गिरधरपुरा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 554/425 रकबा 0.6475 है0 में से 0.0448 है0 भूमि की डी. एल. सी. दर 2301400/— रु0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 103103/— रूपये का दुगुना से 206206/— रूपये की राशि बनती है।

प्रकरण में बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

उक्त प्रस्तावित रास्ता ग्राम गिरधरपुरा की आराजी नं0 554/425 रकबा 0.6475 है0 में से 0.0448 हैक्टेयर (112 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई) भूमि में रास्ता दिये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाता हैं कि प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि मौजा ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का सलावटियां स्थित खाता संख्या 107 खसरा संख्या 552/427 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि मे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 01 की मौजा ग्राम गिरधरपुरा पटवार हल्का सलावटियां की आराजी नं0 554/425 रकबा 0.6475 है0 में से 0.0448 हैक्टेयर भूमि प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी. एल. सी. दर 2301400/– रु0 प्रति है0 से भूमि की मालियत 103103/– रूपये का दुगुना से 206206/– रूपये की राशि बनती हैं। बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में गै0मू0 रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 22/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा